E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(1): 287-291
Received: 30-12-2021
Accepted: 28-02-2022

रूबी कुमारी
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर दरभंगा, बिहार, भारत

डॉ. रेनू कुमारी
सह- प्राध्यापक, डॉ० ज़ाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
रूबी कुमारी
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर दरभंगा, बिहार, भारत

माध्यमिक स्तर के हिंदी पाठय पुस्तको में लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

रूबी कुमारी, डॉ. रेनू कुमारी

सारांश

लैंगिक संवेदनशीलता व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति हमारी परम्परागत सोच में परानुभूति/ तदनुभूति स्थापित करना है एवं स्वयं एवं विपरीत लिंग के प्रति व्यवहार का परिवर्तन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लैंगिक संवदेनशीलता से तात्पर्य है कि "महिला-पुरुषों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु शोध, नीतियों एवं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का निर्माण एवं विकास करना है जो इनके मध्य समानता की भावना को विकसित का सके।" यूनेस्को के अनुसार "लैंगिक संवेदनशीलता के सम्प्रत्यय का विकास महिला एवं पुरुष के मध्य व्यक्तिगत एवं आर्थिक विकास में आने वाली बधाओं को कम करने के मार्ग के रूप में विकसित किया गया है। पाठ्य पुस्तको में लैंगिक समानता लाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले प्रसंग व प्रकरण जोड़े जाने के बाद जनमानसिकता व जनमत में काफी परिवर्तन आया है तथा भविष्य में लैंगिक असमता की सोच एवं तदनुसार आचरण पर धीरे-धीरे कभी आएगी। निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा जनमत के निर्माण तथा अच्छे नागरीक की भूमिका निभाने हेतु छात्र-छात्राओं को तैयार करती है। विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं मे लैंगिक असमानता तथा उसके दुष्परिणामों, महिला में विकास में बाधक तत्व, महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण, लैंगिक संवेदनशीलता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विषयों को सम्मिलितकर छात्र-छात्राओं में लैंगिक असमानता को दूर करके लैंगिक समानता के भावनाओं का विकास किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर के हिंदी पाठ्य-पुस्तकों में कहानियों, गद्य-पाठों व निबंधों, इत्यादी लैंगिक समानता के पाठ्यक्रम विषय को जोड़ कर उन्हें जो शिक्षा की जा रही है इसका छात्र-छात्राओं के जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

कूटशब्दः लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता, विश्व स्वास्थ्य संगठन

प्रस्तावना

पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने के लिये पाठ्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के उपरान्त शिक्षार्थियों के सम्मुख जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि निर्धारित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यक्रम विकास के बाद अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग एक मुख्य पद है। अनुदेशात्मक सामग्री के अभाव में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। प्राचीनकाल में शिक्षक अपने मुख से छात्रों को ज्ञान प्रदान करते थे परन्तु जब लेखन कला का विकास हुआ तब से शिक्षक को शिक्षण कार्य को सरल बनाने का मार्ग मिला।

शिक्षक शिक्षण उपकरणों के द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाकर छात्रों तक पहुँचाता है जिसे छात्र आसानी से ग्रहण करके अपने अधिगम में वृद्धि करते हैं। इन शिक्षण सामग्री में मुख्य सामग्री 'पाठ्य-पुस्तकें' हैं जो शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करती हैं।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर में पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता होती है। अध्यापक द्वारा दिया गया ज्ञान हमेषा स्थायी नहीं होता किन्तु पाठ्यपुस्तकों में ज्ञान सदैव स्थायित्व को प्राप्त होता है और सदियों तक सुरक्षित रहता है एवं ज्ञान की परिपक्वता और पूर्णता भी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही रहती है। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही किया जा सकता है तथा ज्ञान को संगठित तथा सुव्यवस्थित रखा जा सकता है। शिक्षा को सरल बनाने में पाठ्यपुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यपुस्तकें एक प्रकार से शिक्षक की कमी को पूरा करती है। यह एक सुयोग्य मार्गदर्षक के समान कार्य करती है। पाठ्यपुस्कें ज्ञान प्राप्त करने का एक कुशल तथा सशक्त साधन हैं।

पाठ्यपुस्तक में पाठ्यक्रम की पाठ्यवस्तु एक क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप में रहती है। पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यवस्तु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित होती है, पाठ्यवस्तु में क्रमबद्धता, विषयों की विविधता, रोचकता, मनोरंजकता, उपदेशात्मकता, मौलिकता, प्रेरणादायक तत्व, शैलीगत विशेषता, भाषागत विषेशता आदि आन्तरिक गुण होते हैं।

लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका

लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यक्रम की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता हैं -

सर्वांगीण विकास पर आधारित पाठ्यक्रमः विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक के सर्वांगीण विकास पर आधारित होना चाहिए, जैसे- जब एक बालिका को रसोई एवं भोजन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है तो बालक को भी इसकी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इससे दोनों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होंगे जिससे एक ओर जहाँ दोनों का सर्वांगीण विकास होगा वहीं दूसरी ओर लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।

अधिगम गतिविधियों में समानताः पाठ्यक्रम में उन्हीं अधिगम को स्थान देना चाहिए जिससे बालक एवं बालिका को समान में सहभागिता प्राप्त हो सके। जैसे- शैक्षिक भ्रमण जैसी गतिविधियों में अभिभावक यदि छात्राओं को भेजने से इन्कार करते हैं तो शैक्षिक भ्रमण इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सुबह जाकर शाम तक वापस घर आ सके। अतः इस प्रकार की गतिविधियों में बालक एवं बालिकाओं की सहभागिता अनिवार्य होनी चाहिए।

पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा का उपयोगः पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तथ्य को बालिकाओं के नाम से ही सम्बोधित नहीं करना चाहिए जैसे- बालिकाएँ बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं या बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। इससे उनमें लैंगिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। सकारात्मक भाषा के रूप में सिलाई भोजन पकाना बालक व बालिकाओं का आवश्यक गुण है। इन्हें दोनो को सीखना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग लैंगिक समानता लाती है।

विषयों के चयन में परम्पराओं का विरोधः विषयों के चुनाव में परम्पराओं का पूर्णतया विरोध करना चाहिए। जैसे- बालिकाओं के अभिभावक यह कहते हैं कि उसे गृहविज्ञान विषय ही लेना चाहिए तो अध्यापक को इस तथ्य का विरोध करना चाहिए एवं बालिका को उसकी योग्यता के आधार पर विषय प्रदान करने चाहिए।

पाठ्यक्रम में समानताः पाठ्यक्रम में समानता से हमारा अभिप्राय पाठ्यक्रम में उन गतिविधियों व तथ्यों को शामिल करने से है जिससे बालक एवं बालिकाओं के मध्य समानता उत्पन्न हो सके। जैसे- गृह विज्ञान विषय बालिकाओं के लिए माना जाता है। गृह विज्ञान विषय के प्रमुख तथ्यों का समावेश जीव विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषयों में कर देना चाहिए ताकि बालक भी इन तथ्यों से परिचित हो सके। इसके साथ-साथ बालक एवं बालिका के लिए पाठ्यचर्या में भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में समानताः पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन व संचालन में बालक-बालिकाओं का विभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी पाठ्य-सहगामी क्रिया का चयन कोई भी बालक या बालिका कर सकती है। इससे भी लैंगिक असमानता का समापन होगा एवं समानता स्थापित होगी।

रूचि एवं योग्यता के अनुसार विषय: पाठ्यक्रम का संगठन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें बालक व बालिकाएँ अपनी रूचि एवं योग्यता के अनुसार विषयों का चयन कर सके। जैसे यदि एक छात्र गृह विज्ञान पढ़ना चाहता है तो उसे उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह विज्ञान मिलना चाहिए एवं बालिका यदि कृषि विज्ञान पढ़ना चाहती है तो उसको कृषि विज्ञान पढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। इससे दोनों के बीच विषय सम्बन्धी समानता जन्म लेगी। इसी प्रकार यदि किसी बालक में नृत्य, लोकगीत व संगीत की योग्यता है तो विद्यालयी स्तर पर उसे इन विषयों को उपलब्ध कराना चाहिए तथा साथ ही साथ अध्यापकों को उस अमुक बालक को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इसी प्रकार बालिका योग्यता का भी ध्याना रखना चाहिए।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य में आदर्शवादिता: पाठ्य के विभिन्न उद्देश्यों में लैंगिक समानता का उद्देष्य प्रमुख होना चाहिए। उन पाठ्यक्रमों को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए जो मात्र बालिकाओं के लिए ही बने हैं। पाठ्यचर्या का उद्देश्य समस्त योग्यताओं में बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से दक्ष बनाना होना चाहिए क्योंकि इसी से लैंगिक समानता स्थापित हो सकेगी।

व्यावहारिक पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम के निर्माण से पूर्व लैंगिक भेदभाव सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। इस सभी विभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जैसे- महिलाओं को प्रशासनिक क्षमता में अयोग्य माना जाता है तो पाठ्यचर्या में इन्दिरा गाँधी व रानीलक्ष्मी बाई की जीवनी को शामिल करना चाहिए।
पाठ्य-पुस्तकों में निहित विषय-समाग्री के द्वारा भी लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। जैसे- हिन्दी की पुस्तक में महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू आदि की जीवनी को स्थान देने से बालिकाओं में उनके आदर्शों पर चलने की भावना जागृत होती है तथा लैंगिक समानता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अतः लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्य-पुस्तकों की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है-

1. आदर्शवादी पाठ्य-पुस्तकों का समावेश: विद्यालय में आदर्शवादी पाठ्य-पुस्तकों को शामिल करना चाहिए क्योंकि आदर्शों के अभाव में लैंगिक असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर पर आदर्शवादी पाठ्य-पुस्तकों को स्थान दिया जाना चाहिए। इसी के द्वारा प्रत्येक बालक व बालिका में आदर्शों का विकास किया जा सकता है तथा आदर्शवादी बालक-बालिकाओं में लैंगिक असमानता की स्थिति नहीं देखी जाती है।

2. सकारात्मक सोच आधारित पाठ्य-पुस्तकें: प्रत्येक स्तर पर चयनित पाठ्यचर्या में उन पाठ्य-पुस्तकों का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए जिसके द्वारा बालक व बालिकाओं में सकारात्मक सोच विकसित हो सके एवं महिला व पुरूष के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित न हो पाए। इससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा तथा सामाजिक स्तर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

3. समानता की भावना का समावेश: पाठ्य पुस्तकों में समानता का भाव प्रदर्शित करने वाली विशय सामग्री का समावेश होना चाहिए ताकि बालक-बालिकाओं में समानता का भाव विकसित हो सके। प्राथमिक स्तर बालक-बालिका के सहयोग से सम्बन्धित कहानियाँ पढ़ाई जानी चाहिए।

4. महिला के सशक्तीकरण का समावेश: महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित सामग्रियों सक समावेश पाठ्य-पुस्तकों में होना चाहिए। महिला सशक्तीकरण के उपायों से बालिकाओं में जागरूकता का विकास होता है एवं बालिकाएँ अपने अधिकारों से परिचित होती हैं। साथ ही बालक भी परिचित होते हैं इससे वे बालिकाओं के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। इससे भी लैंगिक समानता सुदृढ़ होती है।

5. नैतिकता आधारित पाठ्य-पुस्तकें: प्राथमिक स्तर पर ही नैतिकता आधारित पाठ्य-पुस्तकों का प्रचलन होता है जबकि इसका प्रचलन उच्च माध्यमिक स्तर तक होना चाहिए। नैतिकता आधारित पाठ्य-पुस्तकों से बालक व बालिकाओं के नैतिक दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। इसमें बालक व बालिकाओं की समानता को प्रदर्शित किया जाता है। जब प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक बालक व बालिकाएँ नैतिकता आधारित पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही लैंगिक समानता का विकास होगा।

6. महिला जागरूकता आधारित पाठ्य-पुस्तकें: पाठ्य-पुस्तकों में महिला जागरूकता से सम्बन्धित विशय सामग्रियों का

समावेश करना चाहिए ताकि बालक एवं बालिकाएँ दोनों इन प्रकरणों को पढ़ सकें। इससे छात्राएँ स्वयं जागरूक होंगी ही साथ ही छात्र भी उन्हें जागरूक करने में सहयोग करेंगे। इससे भी लैंगिक समानता का विकास होगा।

7. स्वतंत्रता की भावना का विकास: पाठ्य-पुस्तकों की विशय सामग्री में महिला-पुरूष के अधिकारों की विवेचना होनी चाहिए एवं प्रत्येक बालक व बालिका को अपने स्वतंत्रता से सम्बन्धित अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार के तथ्यों के अध्ययन के द्वारा दोनों (बालक व बालिका) एक-दूसरे की स्वतंत्रता पर प्राप्त विचार करने में सक्षम होंगे। इससे भी लैंगिक असमानता का उन्मूलन होगा तथा लैंगिक समानता स्थापित होगी।

लिंगीय विभेद से तात्पर्य

लिंगीय विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन-पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही यह अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक ओर कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। अतः बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण ही बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंगीय विभेद कहलाता है।

मान्यताएं तथा परम्पराएं

लिंगीय विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं तथा परम्पराओं का है। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध ओर पिण्डादि कार्य पुत्र के हाथ से सम्पन्न कराने की मान्यता रही है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी पुत्र को महत्व दिया जाता है और वंश को चलाने में भी पुरूष को ही प्रधान माना गया है। इन मान्यताओं तथा परम्पराओं की बेड़ियो में हमारा भारतीय जनमानस चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, पूरी तरह से आबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप बालकों को महत्व दिया जाता है और कहीं-कहीं तो बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है।

लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अशिक्षित व्यक्ति, परिवारों तथा समाजों में चले आ रहे मिथकों और अन्धविश्वासों पर ही लोग कायम रहते हैं तथा बिना सोचे-समझे उनका पालन करते रहते हैं। परिणामतः लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा सर्वोपरि मानते हैं। सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालकों को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति यह विचार-विमर्श करने लगा है कि लड़कों की ही भाँति लड़कियाँ प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं तथा लड़का-लड़की एक समान होते हैं। यदि लड़कियों को समुचित प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किये जायें तो वे प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। शिक्षित व्यक्ति यह चिन्तन करता है कि यदि स्त्रयाँ नहीं होगी तो माँ, बहन, बेटी और पत्नी का अस्तित्व ही नहीं होगा और शिक्षित व्यक्ति यह भी नित्य प्रति देखता है और अनुभव करता है कि स्त्रियाँ किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं हैं, वे उनसे कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। इस प्रकार लैंगिक विभेद अषिक्षा और अज्ञानता के परिणामस्वरूप भी होते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त आलेख में विश्लेषित तथ्यों का तथ्यपूर्ण विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है, कि पाठ्य-पुस्तको में लिंगीय पक्षपात के संबंध में विद्यालय द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयासों का संग्रह है, जो विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर की परीस्थितियों में वांछित परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। ये पाठ्य-पुस्तक बालक का बैद्धिक, शारीरिक, भवात्मम, अध्यात्मिम, सामाजिक और नैतिक विकास करता है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में लिंगीय प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता का विकास करने वाली विषय सामग्री का समावेश हो तो निश्चित रूप से स्वस्थ मानसिकता लेकर बच्चों विकास होगा। नई पाठ्यपुस्तकें लिखते और तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों को कम उम्र से ही लैंगिक संवेदनशील बनाना है तथा उन्हें जेंण्डर पक्षपात से दूर रखना है। साथ ही पाठ्यक्रमों व पाठ्यपुस्तकों से जेण्डर पक्षपात को कम करने के सुझावों का अध्ययन किया। इस प्रकार यह नित्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रमों का छात्र जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ–सूची

1. दत्ता संजय एवं विजयवर्गीय दीपिका (2017): जेंडर विद्यालय एवं समाज, श्री कविता प्रकाषन, जयपुर।
2. त्रिपाठी प्रतिमा, (2016): लिंग, विद्यालय एंव समाज, अग्रवाल पब्लिकेषनन्स, आगरा।
3. सुवालका दीपिका (2016): षिक्षा में लैंगिक मुददें, षिक्षा प्रकाषन, जयपुर।
4. पाराषर युगल बिहारी और षर्मा सत्यप्रकाष (2016):जेंडर विद्यालय एंव समाज, राजलक्ष्मी प्रकाषन, जयपुर।
5. जैन दीप्ति (2017): लिंग, विद्यालय एंव समाज, राखी प्रकाषन, आगरा।
6. सेवानी अषोक (2016): जेंडर विद्यालय एंव समाज, षिक्षा प्रकाषन, जयपुर।
7. सिडाना अषोक (2016): जेंडर विद्यालय एंव समाज, षिक्षा प्रकाषन, जयपुर।